फैक्स

संचिका संख्या-स्थे0/झा0/वि0-132/10........1802

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

अश्विनी दत्तात्रय ठकरे,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
झारखंड, रांची ।

पटना-15, दिनांक-......29..जून, 2010

विषय:-- बिहार पुर्नगठन अधिनियम-2000 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्यस्तरीय संवर्ग के कर्मियों का अन्तर्राज्यीय पारस्परिक एकल स्थानान्तरण हेतु समय सीमा निर्धारण किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-14/279/2002 एस0आर0(एस0) दिनांक-15.9.04, पत्र सं0-14/279/2002 एस0आर0(एस0) दिनांक-8.6.06 पत्र सं0-14(सी0)/03/06-एस0आर0(एस0) दिनांक- 02.11.07 द्वारा दिये गये दिशा-निदेश तथा इस पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड के पत्र सं0- 2092 दिनांक-01.07.05, पत्र सं0-6860 दिनांक-21.12.06 तथा पत्र सं0- 293 दिनांक-16.1.08 के द्वारा दी गई सहमति के आलोक में बिहार पुर्नगठन अधिनियम - 2000 के अन्तर्गत भारत सरकारद्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय संवर्ग के कर्मियों का गृह(विशेष) विभाग, बिहार,पटना के पत्र सं0-3479 दिनांक-21.5.05 एवं 15321 दिनांक-8.11.06, पत्र सं0- 10458 दिनांक-17.12.09 तथा पत्र सं0-6455 दिनांक-16.6.08 एवं 10460 दिनांक-17.12.09 के द्वारा क्रमशः पारस्परिक स्थानान्तरण, एकल स्थानान्तरण एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों का एकल रूप में स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान किया गया था।

उल्लेखनीय है कि, राज्य गठन के करीब 10(दस) वर्ष हो चुके है परन्तु भारत सरकार द्वारा दोनों राज्यों में अंतिम रूप से आवंटित कर्मियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। यह प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए जारी नहीं रखी जा सकती है। अतएव राज्य सरकार के भारत सरकार द्वारा बिहार एवं झारखंड राज्य आवंटित कर्मियों का अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण एक निश्चित समय सीमा के अन्दर निस्तार किये जाने का निर्णय लिया है । ताकि इस प्रक्रिया पर विराम लग सकें ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची
गैर सरकारी प्र० संख्या 1011
भेजने की तिथि 3/7/2010
वापसी की तिथि ....

मुख्य सचिव कार्यालय
रांची
गै.स.प्रे.सं. ......1965......
तिथि ......01.07.2010......

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः-

1) जिन पारस्परिक स्थानान्तरण अथवा एकल स्थानान्तरण के मामलों मे झारखंड राज्य की सहमति प्राप्त हो गयी है, उन पर प्रशासी विभाग की सहमति प्राप्त कर 31 जूलाई 2010 तक उन मामलों को निस्तार कर लिया जाय।

2) जिन मामलों में 31 जूलाई 2010 तक झारखंड सरकार/बिहार सरकार की सहमति प्राप्त होती है, उन मामलों को, सभी प्रकियाएँ पूरी कर 31.08.10 तक निस्तार कर लिया जाये ।

3) 31 अगस्त 2010 के बाद किसी भी अर्न्तराज्यीय स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4) 31 जूलाई 2010 तक झारखंड सरकार/बिहार सरकार से अनुशंसा प्राप्त नही होने की स्थिति में इसे उनकी असहमति मानी जायेगी।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में सभी अर्न्तराज्यीय स्थानान्तरण के मामलें (न्यायादेश से आच्छादित मामले सहित) दिनांक-31.08.2010 तक निस्तार कर लिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के आलोक में अपने अधीनस्थ सभी विभागों को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)
विशेष कार्य पदाधिकारी

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :- 3/रा.पु.-621/2005 का. 4269 / राँची, दिनांक 15 जुलाई, 2010

प्रतिलिपि :- सभी सचिव/प्रधान सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव/~~उप सचिव~~